न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 56/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मांगीलाल उर्फ मगा पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनारी खुर्द तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 16.07.2007 जिसके द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी हटा कर सरकार के नाम से दर्ज कर दी गई।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 13.02.2019

अपीलान्ट मांगीलाल उर्फ मगा पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनारीखुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी के विरूद्ध तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 16.07.2007 को नामान्तरकरण संख्या 634 ग्राम धनारीखुर्द में अपीलान्ट की खातेदारी हटा कर सरकार के नाम से दर्ज कर दी गयी को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भू आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.07.69 को अपीलान्ट को ग्राम धनारी खुर्द में भूमि खसरा नंबर 9 में से 20 बीघा भूमि आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 37/101 स्वीकृत किया जाकर अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया तथा आंवटन की शर्तो की पूर्ति करने पर नामान्तरकरण संख्या 168 के द्वारा अपीलान्ट को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से अपीलान्ट का इस भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुल्तानाराम पुत्र भानाराम जाट एवं मांगीलाल पुत्र हुक्माराम जाट निवासी धनारी खुर्द ने दिनांक 11.04.2017 को अपीलान्ट का आवंटन निरस्त करने के लिये अतिरिक्त

कलक्टर (भू0रु0) जोधपुर के समक्ष नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र बिना अपीलान्ट को नोटिस तामिल कराये दिनांक 25.06.2007 को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट का आवंटन निरस्त कर दिया एवं अतिरिक्त कलक्टर (भू0रु0) जोधपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.07.2007 को नामान्तरकरण संख्या 634 स्वीकार कर भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 20 बीघा अपीलान्ट की जगह सरकार के नाम दर्ज कर दी। अपीलान्ट को अतिरिक्त कलक्टर (भू0रु0) जोधपुर के निर्णय दिनांक 25.06.2007 की जानकारी हुई तो उसने निर्णय दिनांक 25.06.2007 के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश करने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने निर्णय दिनांक 29.08.2012 द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अतिरिक्त कलक्टर (भू0रु0) जोधपुर का निर्णय दिनांक 25.06.2007 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये अतिरिक्त कलक्टर (भू0रू0) जोधपुर को रिमाण्ड कर दिया।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से रिमाण्ड होने के बाद अपीलान्ट ने अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष मुल्तानराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) का जबाब प्रस्तुत किया। दिनांक 06.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बावडी में रखी गई लेकिन मुल्तानराम व मांगीलाल बावजूद नोटिस तामिल के वहां अपस्थित नहीं हुये तो पत्रावली दिनांक 16.06.2016 को न्यायालय में रखी गई लेकिन उस दिन भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो मुल्तानाराम व अन्य का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

अपीलान्ट ने दिनांक 08.07.2016 को तहसीलदार बावडी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि अतिरिक्त कलक्टर (भू0रु0) के निर्णय दिनांक 25.06.2007 के आधार पर दिनांक 16.07.2007 को नामान्तरकरण संख्या 634 स्वीकार कर अपीलान्ट का नाम हटा कर भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 20 बीघा वाके धनारी खुर्द सरकार के नाम दर्ज कर दी गई थी। अतिरिक्त कलक्टर का निर्णय दिनांक 25.06.2007 माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.08.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया तथा मुल्तानराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्त करने दिनांक 16.06.2016 को अतिरिक्त कलक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया अतः राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 634 से पूर्व स्थिति बहाल कर अपीलान्ट को खातेदार दर्ज किया जावे। तहसीलदार बावडी ने उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 24.07.2016 को लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया एवं

दिनांक 25.10.2016 को अपीलान्ट को निर्देशित किया कि वो नामान्तरकरण संख्या 634 निरस्त नहीं कर सकते। अपीलान्ट अपील कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 634 निरस्त कराने पर ही उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा सकता है। अत: इन परिस्थितियों में अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भोपालगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण से क्षुब्ध होकर तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 25.06.2007 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कर देने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में उस निर्णय के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण से पूर्व स्थिति बहाल नहीं करने, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 25.06.2007 अपीलान्ट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित करने तथा तहसीलदार द्वारा भी नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने, तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 25.06.2007 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 634 स्वीकृत कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया तो आदेश दिनांक 25.06.2007 को अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2012 के द्वारा निरस्त करने के बाद अपीलान्ट का राजस्व रेकर्ड में पूर्व अनुसार दर्ज करना आवश्यक होने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 634 निरस्त कर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 634 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर अपीलान्ट को भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 20 बीघा गांव धनारी खुर्द की पूर्व अनुसार खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, भोपालगढ से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 16.07.2007 को नामान्तरकरण संख्या 634 ग्राम धनारीखुर्द में अपीलान्ट की खातेदारी हटा कर सरकार के नाम से दर्ज कर दी गयी को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी व पत्रावली का अध्ययन व बहस पर मनन किया। उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 16.07.2007 के विरूद्ध लाई गई है। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.रू.) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व विविध वाद संख्या 18ए/2007 में आदेश दिनांक 25.06.2007 की अनुपालना में निर्णित

किया गया था। यह अपील इस आधार पर दायर की गई है कि वर्तमान में किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है व प्रभावी नहीं है।

ध्यातव्य है कि नामान्तरकरण अपील केवल उसी स्थिति में लाई जा सकती है, जब उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय किसी प्रकार की विधिक, प्रक्रियात्मक या अभिलेख संबंधी भूल हो गयी हो। जिस समय उक्त नामान्तरकरण दायर किया गया, न्यायालय का आदेश प्रभावी था नामान्तरकरण नियमानुसार उचित ही भरा गया था। यदि वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय का आदेश प्रभावी हो गया हो तो प्रार्थी जरिये इजराय या तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तदनुरूप नामान्तरकरण के विषय में आदेश प्राप्त कर सकता है। यदि तहसीलदार द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय ऐसा निर्णय करता है, जिसमें प्रार्थी को भूल प्रतीत हो तो उस नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। अत: वर्तमान में उक्त अपील निरस्त की जाती है तथा साथ ही तहसीलदार बावड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के वर्तमान प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में यथानियम कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बावड़ी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर